2017/88

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –71/2017

अपीलाण्टस्	बनाम	रेस्पोडेण्टस्
1. श्योजीराम पुत्र भंवराराम जाति जाट 2. मोहनराम पुत्र गोदाराम जाति जाट निवासीगण हरियाजून तहसील कुचामन जिला नागौर		1. तहसीलदार परबतसर 2. हल्का पटवारी, मंगलाना, तहसील परबतसर।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्टस् की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।
2. रेस्पोडेण्टस् की ओर कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 12-9-2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार परबतसर के मुकदमा नम्बर 31/2017 अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत सरकार बनाम श्योजीराम में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.05.2017 को प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया की पटवारी हल्का मंगलाना ने अप्रार्थी के विरूद्ध संवत 2073 में मंगलाना के खसरा नम्बर 761 रकबा 1.00 हैक्ट0, क़िस्म गै.मु. नदी की भूमि पर डोल लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस दिया गया। अप्रार्थीगण दिनांक 3.5.17 को उपस्थित हुए लेकिन कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया और मौखिक ही बताया की हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है, भूमि कुचामन तहसील में आती है। तत्पश्चात उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली, जुर्माना व तीन माह के सिविल कारावास का निर्णय पारित कर दिया।

वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 761 ग्राम मंगलाना के किसी भी हिस्से पर अपीलान्टस द्वारा कभी भी किसी प्रकार की दीवार, डोल लगाकर कब्जा नहीं किया गया है, न ही आज दिन कब्जा है, न ही भविष्य में उक्त भूमि पर अपीलान्टस् किसी प्रकार का कब्जा करने की मंशा रखते है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जॉच किये अपीलान्ट के विरूद्ध सिविल कारावास का निर्णय पारित किया है, जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्टस् ग्राम हरियाजून तहसील कुचामनसिटी के निवासी है एवं विवादग्रस्त भूमि ग्राम मंगलाना में स्थित है। अपीलान्टस् का विवादित नदी की भूमि खसरा संख्या–761 से किसी प्रकार कोई सरोकार नहीं रहा है। अपीलान्टस् के विरूद्ध कार्यवाही मात्र द्वैषतावश की जा रही है क्योंकि अपीलान्ट के खेत पडोसी उगमाराम गोदारा के हल्का पटवारी मंगलाना से अच्छे संबंध है एवं उक्त उगमाराम अपीलान्टस् के खेत से जबरन रास्ता लेना

कलक्टर, नागौर

चाहता है इसके चलते हल्का पटवारी मंगलाना से उक्त ख0नं0 761 पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट पेश करवाकर अपीलान्टस् के विरूद्ध उक्त मुकदमें करवाये जा रहे है। अपीलान्ट्स का विवादित भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं रहा है। इस बाबत अपीलान्ट मोहनराम शपथ पत्र भी पेश किया है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी 3.5.17 को अपीलान्ट्स स्वंय उपस्थित हुए व उसी दिन उन्होने तहसीलदार जी को अवगत करवा दिया था कि विवादित भूमि उनका कोई अतिक्रमण नहीं है न ही उन्होने किसी प्रकार की डोल वगैरह लगाकर अतिक्रमण किया है, किन्तु तहसीलदार जी ने बिना किसी साक्ष्य सबूत के अपीलान्टस् को सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित है।

धारा 91 एल.आर.एक्ट में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमियों के विरूद्ध संयुक्त रूप से कार्यवाही नहीं की जा सकती। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने पूर्व निर्णय की सत्य प्रतिलिपि पेश नहीं की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने का कथन करते हुऐ अपीलान्टस् की अपील का स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 03.05.2015 को सिविल कारावास की हद तक निरस्त करने का निवेदन किया है।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक से जॉच शुदा पटवारी मगलाना की रिपोर्ट दिनांक 20.3.2017 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम मंगलाना खसरा नम्बर 761 रकबा 1.00 हैक्ट0 गैर मुमकिन नदी की भूमि पर डोल लगाकर कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस् के विरूद्ध प्रकरण संख्या–31/2017 दर्ज कर अपीलान्टस् को नोटिस जारी किये गये, जिसके कम में अपीलान्टस् ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 3.5.2017 को उपस्थित होकर कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया एवं मौखिक बताया की उनका कोई अतिक्रमण नहीं है, भूमि कुचामन तहसील में आती है।

अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय तथा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। जबकि भू अभिलेख निरीक्षक से जॉच शुदा पटवारी मगलाना की रिपोर्ट दिनांक 20.3.2017 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाना साबित है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द के अनुसार पूर्व में भी दिनांक 27.12.16 को अपीलान्ट श्योजीराम वगैरह को उक्त वादग्रस्त पर किये गये अतिक्रमण को मौके पर हटाया जाकर अतिक्रमी को बेदखल किया गया है, इससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्टस् द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली उनको लौटाते हुऐ निर्णय की एक प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर